## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी, डॉ राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 138/18          निर्णय दिनांकः 06.08.2018

1. ईमाम खॉ पुत्र मम्मीखॉ जाति मुसलमान निवासी राववाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्

**अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 11—08—2008**
**सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर**

उपस्थितिः—
1. श्री हनुमानगिरी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 11—08—2008 जिसके द्वारा अपीलांट का रकबा स्कीम से बाहर बताकर आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील खाजुवाला के चक 8 एमआरएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 30/48 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश

किये थे। उसके पश्चात् अपीलांट को कहा गया कि जब भी रकबा आवंटन करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड नोटिस सूचित कर दिया जावेगा। अपीलांट रकबा आवंटन की सूचना का इंतजार करता रहा व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई।

तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा करीब ग्यारह माह बाद दिनांक 11—08—2008 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से उक्त आवेदन पत्र में आवेदित रकबा स्कीम से बाहर होने का बताकर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। जबकि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा रकबा विशेष आवंटन के गजट में वर्ष 1999 से नोटिफाईड किया हुआ है। जो कि स्कीम का रकबा था व अभी भी गजट में आरक्षित है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त गजट का मिलान ही नहीं किया व एक साईक्लोस्टाईल आर्डरशीट में मुरब्बा नम्बर भरकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। वादगत् भूमि आज भी रकबा राज दर्ज है, अन्य किसी को आवंटन नहीं हुई है। अपीलांट आज भी उक्त भूमि की नियमानुसार राशि जमा करवाने को तैयार है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11—08—2008 के विरूद्व अपील दिनांक 05—03—18 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है।

इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 11—08—2008 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 05—03—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

7. **(1)** हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल के चक 8 एमआरएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 30/48 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र वर्ष 2007 को मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

**(2)** यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा चक 8 एमआरएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 30/48 के विशेष आवंटन के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया कि प्रार्थी द्वारा आवेदित चक 8 एमआरएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 30/48 रकबा स्कीम से बाहर होने के कारण आवंटन

की कार्यवाह नहीं की जा सकती। अतः सलाहकार समिति की राय से आवेदन निरस्त किया जाता है। जबकि अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विशेष आवंटन गजट की प्रति के अनुसार अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा विशेष आवंटन के तहत आवंटन योग्य रकबा था व आज भी है।

**(3)** प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072—2075 के अनुसार चक 8 एमआरएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 30/48 आज दिनांक को आराजी राज दर्ज होकर अन्य किसी को आवंटनशुदा नहीं है तथा विशेष आवंटन हेतु आरक्षित रकबा है। अदालत मातहत को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वादगत् भूमि के संबंध में सही स्थिति की जानकारी प्राप्त की जानी अपरिहार्य थी। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट द्वारा आवेदिक रकबे के स्थान पर अन्य रकबा खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो किसी भी प्रकार से न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

**(4)** अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी द्वारा बतौर सबूत प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2072—2075 के अनुसार उक्त रकबा आज दिनांक को अराजीराज दर्ज है व अन्य किसी को आवंटनशुदा नहीं है। इसलिए अपीलांट उक्त भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 11—08—2008 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर 8 एमआरएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 30/48 की भूमि के आवंटन की कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 06.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर